

19.09.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी. एल.दवे उपस्थित। सरपंच ग्राम पंचायत भावरी अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल प्रार्थना-पत्र निर्णित होकर खारिज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Bella
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

